

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-17/विधि 1-81/2016- 572(17) /स्वा० पटना, दिनांक - 20.07.19

विभागीय आदेश सं०-571(17) दिनांक-19.07.2019 द्वारा खोदैजा महविश, सीनियर रेजिडेन्ट, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के अधीन की गई प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

ह०/-
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/विधि 1-81/2016 - 572 (17) पटना, दिनांक :- 20.07.19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित सीनियर रेजिडेन्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,03,08,09 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।